न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

(124)

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

निगरानी– 2839/2018/छतरपुर/भू.रा.

1. घनश्याम शर्मा पुत्र स्व. श्री काशी प्रसाद शर्मा, निवासी– बमीठा तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. श्रीमती माया शुक्ला पुत्री स्व . श्री काशीप्रसाद, पत्नी स्व. श्री रमेश कुमार शुक्ला निवासी– एल.आई.जी. 68, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बोदा बाग, रीवा (म.प्र.)
3. श्रीमती आश त्रिपाठी पुत्री स्व. श्री काशीप्रसाद शर्मा, पत्नी श्री अरविन्द कुमार त्रिपाठी, निवासी– एफ–13, वार्ड न. 25, पोस्ट ऑफिस के पास, वाण सागर कॉलोनी रीवा (म.प्र.)
4. श्रीमती मीना पाण्ड पुत्री स्व. श्री काशीप्रसाद शर्मा, पत्नी श्री देववृत्त पाण्डे, निवासी– 647, कीर्ती क्रांति प्रेस के पास, पुष्प राजनगर रीवा (म.प्र.)

--आवेदकगण

विनोद भार्गव अभि.

आज दि. 9-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दि. 5-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
09-05-2018

विरुद्ध

1. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर छतरपुर (म.प्र.)
2. मुस. राधाबाई विधवा माधव राव केलकर,
3. विष्णु माधव पुत्र स्व. श्री माधव राव केलकर,
4. विजय माधव पुत्र स्व. श्री माधव राव केलकर, समस्त निवासीगण– निवासी– पाये तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

--असल/अनावेदकगण

... ग्वालियर
... प्राप्त
पृष्ठ क्र. 01 से 32
दिनांक 9/5/18
हस्ताक्षर व नाम

5. हीरा पुत्र नाराणदास गुप्ता, निवासी– ग्राम बमीठा, तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)
6. वीरेन्द्र कुमार पुत्र नारायणदास गुप्ता, निवासी– ग्राम बमीठा, तहसील

(2)

7. राजवर सिंह पुत्र स्व. श्री दुर्जन सिंह, निवासी– ग्राम पाय तहसील जिला छतरपुर (म.प्र.)
8. महेन्द्र गुप्ता मानय पुत्र बृजलाल जैन, निवासी– न्यू कॉलेनी, छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

--तरतीबी/अनावेकदगण

न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 503/अ-9/2009-10 में पारित आदेश पारित दिनांक 14/03/2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बमीठा तहसील राजनगर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 657, 661, 918, 920, 921, 922, 923 कुल किता 7 रकबा क्रमशः 31.67, 10.52, 3.51, 3.15, 2.07, 1.09, 1.10 एकड़ समग्र रकबा 53.11 एकड़ के भूमि स्वामी विनायक राव पुत्र श्री जगन्नाथ राव केलकर ब्राम्हण के पास म.प्र. कृषि खातो की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत अधिक सीमा से अधिक भूमि होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम अधिकारी सीलिंग के द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया मृतक धारक द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार धारक उक्त भूमि में खसरा नम्बर 657 रकबा 31.67 में से 8.56 एकड़, खसरा नम्बर 661 रकबा 10.52 एकड़, खसरा नम्बर 913 रकबा 3.15 एकड़, खसरा नम्बर 920 रकबा 3.15 एकड़, खसरा नम्बर 921 रकबा 2.07 एकड़, खसरा नम्बर 922 रकबा 1.09 एकड़ एवं खसरा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2839/2018/टीकमगढ़/भू0रा0

घनश्याम शर्मा तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर तथा अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–3–2019	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 503/अ–9/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 14–3–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने खं0 न0 657, 661, 918, 920, 921, 923 कुल किता 7 रकवा 53.11 में से 22. 29 एकड़ भूमि को म0प्र0कृषि जोत अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अतिशेष भूमि घोषित की गई। आवेदक द्वारा उसी अतिशेष भूमि से भूमि कय कर नामांतरण कराया है। सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत शासन में वैष्ठित भूमि को विकय करने की अधिकारित किसी पक्षकार को नहीं रह जाती और आवेदकगण को उक्त भूमि कय करने से कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हो जाते। इसी आधार पर अपर आयुक्त ने शासन को वैष्ठित भूमियों भूमि के विकय पत्रों को शून्य घोषित किया तथा यह निर्देश दिये कि नामांतरण निरस्त कर भूमि सीलिंग एकट के तहत म0प्र0 श ासन दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर0के0 जैन) 11-3-19 सदस्य	

3